

२। जट्ट॒ अ०८८  
न्यायालय अपर आयुहृत उक्तिविषय संघर्ष, ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक

/2014 निगरानी

Q - 1428 - PBP/14

(S) 5/14

1. श्रीमती रंजना प्रधान पत्नी स्व० श्री अमर प्रधान आयु 62 वर्ष व्यवसाय गृह कार्य
2. श्रीमती नम्रता प्रधान भावसार पत्नी श्री सचिन भावसार पुत्री स्व० अमर प्रधान आयु 36 वर्ष व्यवसाय गृह कार्य दोनो निवासीगण प्लाट नं० ३/१०१, कालिन्दी मिड टाउन वायपास इन्डौर
3. श्रीमती सांत्वना प्रधान भटनागर पत्नी श्री पंकज भटनागर पुत्री स्व० श्री अमर प्रधान आयु 35 वर्ष व्यवसाय गृहकार्य निवासी द्वारा श्री एम.सी.भटनागर, 255/36, मालबाड़ा, बसंत रोड गाजियाबाद २००४०

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह तोमर पुत्र श्री शिवचरन सिंह तोमर निवासी ई ४०, बलबंत नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर
2. महेशचंद जैन पुत्र श्री हरीशचंद जैन निवासी डी-१९, हरीशकरपुरम, लश्कर ग्वालियर .....रिस्पान्डेंट्स
3. श्रीमती सोनल प्रधान ब्रिजवानी पत्नी श्री प्रवीण ब्रिजवानी पुत्री स्व० श्री अमर प्रधान आयु 37 वर्ष व्यवसाय गृह कार्य निवासी ४१, स्पेक्ट्रम टावर इलफोर्ड, आइजी १४, जीजेड, लंदन यू०के०

निगरानी अंतर्गत आरा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २-४-१४

पारित द्वारा अनुभितागीय अधिकारी ग्वालियर प्र०क० १४/१३-१४/अप०ल में

*Office*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1428—पीबीआर / 14

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

प्रबंधकारी एवं अधिकारी  
आदि के हस्ताक्षर

4-8-2016

आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। निगरानी की ग्राह्यता के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के वादग्रस्त आदेश का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि आवेदकगण की ओर से अपूर्णीय क्षति होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष